UPBJ010078252019

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 370/2019
सरकार बनाम दानिश आदि

दिनांक 16–08–2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण आसिफ, खुर्शीद व दानिश पुत्र सेवन जेरे जमानत उपस्थित आये। अभियुक्त जब्बार जिला कारागार से जरिये वी0सी0 उपस्थित है। अभियुक्तगण इकरार, शाहआलम, इरशाद, असलम, दानिश उर्फ सोनू, अफजाल, दाउद, असलम व मुकीम की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरीमाफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ, आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान अनुपस्थित है।

अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान की उपस्थिति हेतु गैर जमानतीय वारण्ट की प्रोसेस जारी की जा रही है तथा उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर को पत्र के साथ प्रोसेस भेजे गये। इस न्यायालय में अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान से सम्बन्धित दो सत्र परीक्षण क्रमशः सत्र परीक्षण सं0 1001/2019, मुकदमा अपराध सं0 275/2019, सरकार बनाम दानिश आदि अन्तर्गत धारा 302/34 भा0दं0सं0 एवं सत्र परीक्षण सं0 360/2021, मुकदमा अपराध सं0 522/2019, सरकार बनाम दानिश अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर विचाराधीन है तथा उक्त सत्र परीक्षण के साथ ही अग्रणी सत्र परीक्षण सं0 370/2019 सरकार बनाम दानिश एवं अन्य सत्र परीक्षण 371/2019 सरकार बनाम दानिश पुत्र सेवन भी विचाराधीन है।

उक्त अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान के अतिरिक्त शेष 12 अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आ रहे हैं तथा अभियुक्त जब्बार लगातार जिला कारागार में निरुद्ध चल रहा है। मात्र उक्त अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान के अनुपस्थित होने के कारण उक्त चारों ही सत्र वादों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान की गिरफ्तारी हेतु प्रोसेस गैर जमानतीय वारण्ट, धारा 82 व 83 दं0प्र0सं0 जारी किया गिया था। जिस पर सम्बन्धित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 'अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान निवासी ग्राम कनकपुर कला थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर की कुर्की वाद सं0 07/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 16–07–2024 को उ0नि0 मौ0 कय्यूम द्वारा की जा चुकी है। अभियुक्त दानिश के घर पर कोई सम्पत्ति नहीं है, जिसको कुर्क किया जा सके। मकान अभियुक्त के पिता के नाम है। अभियुक्त दानिश फरार चल रहा है। तलाश जारी है।' कुर्की की जी0डी0 भी संलग्न की गयी है। विदित हो कि प्रस्तुत मामला सन् 2019 से विचाराधीन है तथा हत्या जैसे गम्भीर मामले से सम्बन्धित है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र एवं आदेश पत्र के परिशीलन उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान काफी समय से सत्रवाद की कार्यवाही से अनुपस्थित चल रहा है तथा उसके विरूद्ध धारा 82, 83 दं0प्र0सं0 की

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2024.08.17 16:32:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कार्यवाही भी की जा चुकी है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान व उसके जामिनान अब्दुल गफ्फार व महताब खां के विरूद्ध बारम्बार प्रोसेस जारी कर कार्यवाही को अमल में लाया गया है। चूंकि यह प्राचीन वाद है तथा एक्शन प्लान के अन्तर्गत चिन्हित है। अतः ऐसी स्थिति में जब उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अभियुक्त बदस्तुर फरार है, उसके निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान को फरार घोषित किये जाने हेतु उक्त दानिश के दोनों सत्र वादों (सत्र परीक्षण संख्या 1001/2020 सरकार बनाम दानिश आदि एवं सत्र परीक्षण संख्या 360/2021 सरकार बनाम दानिश) वाद की कार्यवाही धारा 299 दं0प्र0सं0 अग्रसारित की जाती है। चूंकि अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान के विरुद्ध सत्र परीक्षण संख्या 1001/2020 सरकार बनाम दानिश आदि धारा 302/34 भा0दं0सं0 एवं सत्र परीक्षण संख्या 360/2021 सरकार बनाम दानिश धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर विचाराधीन है। अतः अभियुक्त के दोनों सत्र परीक्षण वादों में जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त के जामिनान के विरूद्ध के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये थे, किन्तु उनके द्वारा न तो अभियुक्त को उपस्थित कराया गया और न ही वह स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान का बन्धपत्र जब्त किया जाता है।

अतः अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान की पत्रावली (सत्र परीक्षण संख्या 1001/2020 सरकार बनाम दानिश आदि धारा 302/34 भा0दं0सं0 एवं सत्र परीक्षण संख्या 360/2021 सरकार बनाम दानिश धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर) इस लीडिंग वाद सत्र परीक्षण सं0 370/2019 सरकार बनाम दानिश आदि की पत्रावली से पृथक की जाय। सत्र लिपिक आवश्यक कार्यवाही करे।

अभियुक्त दानिश पुत्र इरफान के जामिनान **अब्दुल गफ्फार व महताब खां** (सत्र परीक्षण संख्या 1001/2020 सरकार बनाम दानिश आदि धारा 302/34 भा0दं0सं0) एवं जामिनान **राजेन्द्र व प्रेम उर्फ परम** (सत्र परीक्षण संख्या 360/2021 सरकार बनाम दानिश धारा 3/25 आयुध अधिनियम) के विरूद्ध धारा 446 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पृथक प्रकीर्ण वाद अलग–अलग दर्ज करके नियमानुसार जमानत धनराशि की वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जाये। जामिनदारों को नोटिस जारी हो। अभियुक्त की दोनों पत्रावलियां पृथक करने के पश्चात् लीडिंग सत्र परीक्षण के साथ नियत तिथि को पेश हो। धारा 299 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में पृथक किये गये सत्र वादों (सत्र परीक्षण संख्या 1001/2020 सरकार बनाम दानिश आदि एवं सत्र परीक्षण संख्या 360/2021 सरकार बनाम दानिश) में तामील कुनिन्दा उप–निरीक्षक मौ0 कय्यूम को साक्ष्य हेतु जरिये समन तलब किया जाय। पत्रावली (मूल लीडिंग वाद) वास्ते साक्ष्य, दिनांक 03–09–2024 को पेश हो। साक्षीगण जरिये समन तलब हों। आदेश की प्रति एस0टी0 नं0 360/2021 एवं एस0टी0 नं0 1001/2019 पर रखी जाय।

दिनाँक 16–08–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।